(80)

न्यायालय श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, राजस्व मंड़ल ग्वालियर (म.प्र.)

राजकिशोर मिश्र तनय मकसूदन प्रसाद मिश्र, निवासी ग्राम बूढ़ा, तहसील नईगढ़ी, जिला रीवा (म.प्र.)

III/अपील/रीवा/भू.रा/2017/3239

प्र.क्र. /17 अपील .... अपीलार्थी

बनाम

1. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग रीवा, जिला रीवा (म.प्र.)
2. म.प्र. शासन .... रैस्पाडेण्टगण

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा म.प्र. के प्रकरण कमांक 157 / पुर्नस्थापन / 16.17 में पारित दिेश दिनांक 10.07.2017।

अपील अन्तर्गत धारा 35 (4) म. प्र. भू.रा.सं. 1959 ई.।

जे.एस.गौड
एडवोकेट
नया बाजार ग्वालियर

मान्यवर,

आधार प्रार्थना पत्र निम्न हैं:--

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधि व प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांण्ट द्वारा प्रस्तुत पुर्नस्थापन आवेदन पत्र एवं साथ मे प्रस्तुत धारा 5 म्याद अधिनियम के आवेदन पत्र का अवलोकन किये बगैर प्रश्नाधीन अवैधानिक, आदेश पारित किया गया हैं, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं।
3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.02.2017 को प्रकरण में तारीख पेशी नियत थी। दिनांक 20.02.2017 को अपीलाण्ट के पुत्र का तिलकोत्सव था जिस में अपीलाण्ट व्यस्त होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.2.2017 को उपस्थित नही हो सका था। तथा इस बात की जानकारी अपीलाण्ट द्वारा नियुक्त अधिवक्ता श्री वी. के. तिवारी को मोबाइल फोन के माध्यम से दी गई थी, उसी दिनांक को अधिवक्ता श्री वी.

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन/अपील/रीवा/भू.रा./2017/3239

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
11 –10–17	अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री जे0 एस0 गौड़ उपस्थित होकर उनके द्वारा आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 157/पुर्नास्थापन/2016–2017 में पारित आदेश दिनांक 10.07.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 (4) के अन्तर्गत यह अपील प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश इस प्रंकार है कि अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में अपील प्रकरण कमांक 71/अपील/2015–16 दिनांक 20.2.17 को पेशी नियत थी लेकिन उक्त पेशी के दिनांक को अधिवक्ता एवं अपीलार्थी उपस्थित नहीं हो सका । अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा आवेदन अन्तर्गत धारा 35 (3) म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर उसके साथ धारा–5 का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया। आवेदक अधिवक्ता का दिनांक 10.7.17 को धारा 35 (3) का आवेदन इस कारण निरस्त कर दिया गया था कि वह समय सीमा से बहार होने के कारण निरस्त किया गया, इसी से दुखित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। 3– अपीलार्थी अधिवक्ता का तर्क है कि अपील प्रकरण कमांक	

71/अपील/2015–16 दिनांक 20.2.17 को पेशी नियत थी, लेकिन अपीलार्थी के घर में पुत्र का तिलकोत्सव होने के कारण अधिवक्ता को सूचना दी गई थी लेकिन अधिवक्ता नियत पेशी पर उपस्थित नहीं हुये इस लिये अधिवक्ता की त्रुटि के लिये पक्षकार को दण्डित नहीं किया जा सकता । अपीलार्थी द्वारा तर्क में यह भी बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन कोई लंबा समय व्यतीत नहीं हुआ है, वैसे भी बेणुधर बनाम मुरलीधर एवं अन्य 1997 राजस्व निर्णय 319 में माननीय न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि वाद के पुर्नास्थापन का आवेदन 1 वर्ष द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि वाद के पुर्नस्थापन का आवेदन 1 वर्ष 6 माह बाद प्रस्तुत किया गया। पक्षकार को तामील नहीं पुर्नस्थापन बैध है। आवेदक अधिपक्ता का तर्क है कि अपीलांट का हित निहित है, तथा धारा 5 म्याद अधिनियम का रूख लचीला होता है, तथा धारा 5 म्याद अधिनियम का सिद्वांत किसी पक्षकार को न्याय प्रदान करने की मंशा अनुरूप आवेदन पत्र स्वीकार करना चाहिये तथा गुणदोष के आधार पर विधि संगत आदेश पारित करना चाहिये किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर गौर किये बगैर प्रश्नाधीन अवैधानिक आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ के प्रकरण कमांक 157/पुर्न0/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 10.7.17 निरस्त कर अपील प्रकरण कमांक 71/अपील/2015–16 को पुनः

सुनवाई में लेकर गुण दोष पर आदेश पारित करने हेतु निर्देश दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

4—आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को प्रकरण के अदम पैरबी में खारिज होने की सूचना प्राप्त होने पर प्रकरण को पुर्नस्थापन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 10.7.17 को विधिवत धारा 5 के आवेदन एवं शपथपत्र के साथ आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो आयुक्त रीवा द्वारा उसे भी आदेश दिनांक 10.7.17 से यह अंकित करते हुये खारिज कर दिया गया कि समय सीमा से बाहर है। आयुक्त द्वारा जारी आदेशों में नैसर्गिक न्याय के सिद्वांतो एंवं सहज न्याय के सिद्वांतों की मंशा को न समझते हुये उनके विपरीत आदेश पारित किये गये हैं, जो किसी भी स्थिति में उचित नहीं हैं इस संबंध में **लक्षमण प्रसाद वियद्व गोल्हई 1992 राजस्व निर्णय 24 पैरा 5 में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि कोर्ट रीडर या आयुक्त कोर्ट के सुपरिन्टेन्डेंट द्वारा दी गयी तारीख पर गैर हाजिरी नहीं मानी जायेगी, उस तारीख पर हाजिर होना वाध्यकर नहीं है, इसी प्रकार नीरज सिंह विरूद्व रामजी 1990 राजस्व निर्णय 308 में भी यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है, कि पीठासीन अधिकारी या जज जब न्यायालय में उपस्थित न हो तब कोर्ट की ओर से पक्षकारों को सूचना की तामील करायी जावेगी हाजिरी का दायित्व पीठासीन अधिकारी के समक्ष ही है,** इससे स्पष्ट है कि सूचना विधिवत

न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को नहीं दी गयी थी जबकि उन्हें इसकी सूचना विधिवत दी जाना चाहिये थी। ऐसी स्थिति में उपरोक्त न्यायिक सिद्वांतों के परिप्रेक्ष्य में अदम पैरवी में प्रकरण को खरिज करने संबंध आदेश दिनांक 20.2.17 किसी भी स्थिति में स्थिर रखने योग्य नहीं है। **इस संबंध में बल्देवा विरूद्व म0 प्र0 शासन 1990 राजस्व निर्णय 214 श्री एच0 जी0 ओभराय अध्यक्ष आदेश 41 नियम 19 सी.पी.सी. अपील को रेस्टोर्ड करना चाहिये एवं लक्षमण प्रसाद विरूद्व गोल्हई 1992 राजस्व निर्णय 24 पैरा 5 में भी यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि अधिवक्ता की त्रुटि से संबंधित मामलों में पक्षकार को दण्डित नहीं किया जाना चाहिये। उसे ऑन मैरिट न्याय प्राप्त करने के लिये मामले को आगे गुण दोष पर सुनवाई की जाना चाहिये एक पक्षीय स्थापना आदेश या त्रुटि में मामला खारिज का आदेश निरस्त किया जाना उचित होगा।**

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण कमांक 157/पुर्नस्थापन/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 10.7.17 निरस्त करते हुये आदेशित किया जाता है कि 157/पुर्न0/2016–17 रेस्टोर्ड करते हुये अपील प्रकरण क0 71/अपील/2015–16 को पुनः नम्बर पर लेते हुये गुण दोष पर प्रकरण का निराकरण करें।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य